संख्या–104गो0से0आ0/सैंतीस–2–2021–5(16)/2017

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 गो सेवा आयोग,
10वॉ तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 17 अगस्त, 2021

विषय:–प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित गोवंश के भरण–पोषण अनुदान दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 15.12..2017 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदयए

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 171/उ0प्र0गो0से0आ0, दिनांक 22.06.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र में प्रेषित प्रस्ताव के कम में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

| क0 | शासनादेश दिनांक 15.12.2017 में विद्यमान व्यवस्था | | संशोधित व्यवस्था | |
|---|---|---|---|---|
| | अवधि | कार्यकम | अवधि | कार्यकम |
| 1(1) | दिनांक 01.01.2018 से 31.01.2018 तक | इस अवधि में समस्त पंजीकृत गोशालाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर शासकीय अनुदान हेतु अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के यहाँ केवल आनलाइन अथवा रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। | 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक। | इस अवधि में समस्त पंजीकृत गोशालाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर शासकीय अनुदान हेतु अपना अवेदन पत्र संबंधित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के यहाँ केवल आनलाइन अथवा रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। |
| (2) | दिनांक--01.02.2018 से 15.02.2018 तक जांच | आवेदन पत्रों में अंकित पंजीकृत गोशालाओं के स्थलीय/भौतिक निरीक्षण/सत्यापन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा उक्त अवधि में गोशालाओं का स्थलीय/भौतिक सत्यापन कर अपनी सत्यापन रिपोर्ट, जिसमें पंजीकृत गोशालाओं की संख्यात्मक क्षमता, | 1 अप्रैल से 15 फरवरी तक। | आवेदन पत्रों में अंकित पंजीकृत गोशालाओं के स्थलीय/भौतिक निरीक्षण/सत्यापन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगा, जिसके द्वारा उक्त अवधि में गोशालाओं का स्थलीय/भौतिक सत्यापन कर अपनी सत्यापन रिपोर्ट, जिसमें पंजीकृत गोशालाओं में की संख्यात्मक क्षमता, उपलब्ध पशुओं की संख्या व गोशालाओं की अवस्थापना सुविधा तथा पेन नम्बर, आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर का समग्र विवरण हो (वीडियो रिकार्डिंग सहित) मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | उपलब्ध पशुओं की संख्या व गोशालाओं की अवस्थापना सुविधा तथा पेन नम्बर, आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर का समग्र विवरण हो (वीडियो रिकार्डिंग सहित) मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा:—<br>1— सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी।<br>2— सम्बन्धित क्षेत्र के खण्ड विकास अधिकारी।<br>3— सम्बन्धित क्षेत्र के उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी। | | गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा:—<br>1. संबंधित क्षेत्र के उप जिला अधिकारी।<br>2. संबंधित क्षेत्र के उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी।<br>3. संबंधित क्षेत्र के खण्ड विकास अधिकारी/अधिकारी या नगरीय निकाय का सक्षम प्राधिकारी या उसका प्रतिनिधि समिति अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अन्दर आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर देगी। |
| (3) | दिनांक- 15.02.2018 से 28.02.2018 तक | इस अवधि में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित 05 सदस्यीय समिति द्वारा प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट एवं गोशालाओं के अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त डी0पी0आर0 एवं अपनी संस्तुतियों सहित आवेदन पत्रों को उ0प्र0 गो सेवा आयोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। गोशालाओं को प्रदत्त अनुदान की शुचिता एव पारदर्शिता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्वए उ0प्र0 गो सेवा आयोग का होगा। | 1 अप्रैल से 28 फरवरी तक। | इस अवधि में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता मे गठित 05 सदस्यी समिति द्वारा प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट एवं गोशालाओं के अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त डी0पी0आर0 एवं अपनी संस्तुतियों सहित आवेदन पत्रों को आवेदन प्राप्ति होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर उ0प्र0 गो सेवा आयोग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। गोशालाओं को प्रदत्त अनुदान की शुचिता एवं पारदर्शिता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 गो सेवा आयोग का होगा। |
| (4) | दिनांक—01.03.2018 से 15.03.2018 तक | उ0प्र0 गो सेवा आयोग द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (मदवार/वर्गवार विश्लेषण/स्थलीय निरीक्षण आख्या सहित) सहित पात्र गोशालाओं को शासकीय अनुदान प्रदान करने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाएगाए जिस पर शासन की संस्तुति के कम में मण्डी परिषद/गो सेवा आयोग के माध्यम से संगत मद में उपलब्ध धनराशि के आधार पर | 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। | उ0प्र0 गो सेवा आयोग द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (मदवार/वर्गवार विश्लेषण/ स्थलीय निरीक्षण आख्या सहित) पात्र गोशालाओं को अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित शासकीय अनुदान प्रदान करने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर शासन की स्वीकृति के कम में मण्डी परिषद/गो—सेवा आयोग के माध्यम से संगत मद में उपलब्ध धनराशि के आधार पर आर0टी0जी0एस0/आनलाइन अन्तरण सेवा के माध्यम से गोशालाओं को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | आर0टी0जी0एस0/ आनलाइन अन्तारण सेवा के माध्यम से गोशालाओं को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3–स्थलीय/भौतिक निरीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित पशुओं की संख्या के आधार पर आंकलन कर गोशाला की संख्यात्मक क्षमता व भौतिक निरीक्षण के समय गोशाला में उपलब्ध गोवंश की वास्तविक संख्या में से जो कम होए को मानक मानते हुए उसके 70 प्रतिशत की संख्या को मानक के रूप मे स्वीकार करते हुए उसके सापेक्ष वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति में रू0 30/– प्रतिदिन/प्रति पशु के आधार पर कुल 365 दिनों के भरण–पोषण हेतु अनुदान देय होगा। भरण–पोषण हेतु दिये जाने वाले रू0 30/– प्रतिदिन/प्रति पशु के अतिरिक्त उनके भरण–पोषण पर होने वाले व्यय–भार का वहन संस्था द्वारा गोशाला से उत्पादित गोबरए गोमूत्रए पंचगव्य आदि सहउत्पादों से प्राप्त आय अथवा स्वयं आने श्रोतों से वहन किया जायेगा। इसी प्रकार गोवंश के भरण–पोषण पर आने वाले अवशेष 30 प्रतिशत का व्यय–भार भी संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार वहन किया जायेगा। | | | |
| | 4–पशुधन की संख्या एवं गोशालाओं को प्रदत्त अनुदान की प्रचलित व्यवस्था के संदर्भ में | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | गोशालाओं द्वारा यह दृष्टिकोण अपनाया जाय कि गोवंश के भरण–पोषण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान राशि के अतिरिक्त अन्य आवश्यकता की धनराशि हेतु इन गोशालाओं द्वारा स्वयं के द्वारा राजस्व के श्रोत विकसित किये जाये और गोवंश द्वारा उत्सर्जित पंचगव्य (दूधए दहीए घीए गोबरए मूत्र) के माध्यम से गोशाला के संचालन हेतु अतिरिक्त राजस्व इक्ठ्ठा किया जाय। | | |
| | 5–भविष्य में इन गोशालाओं का निरीक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उक्त निर्धारित तिथिवार कार्यक्रम में अनुसार अनिवार्य रूप से करा लिया जाय और उक्त निरीक्षण के आधार पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति में उक्तानुसार धनराशि (यथा रू0 30/– प्रतिदिन/प्रति पशु/365 दिन) का ही भुगतान किये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विचार किया जाय। | | |
| | 6 स्थलीय/भौतिक सत्यापन समिति की निरीक्षण आख्या के आधार पर उपाशयित व्ययभार का आकलन कर पशुपालन विभाग द्वारा यथोचित बजट व्यवस्था करायी जायेगी तथा पूर्व प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार मण्डी परिषद द्वारा शुल्क एवं सेस की धनराशि के माध्यम से उपार्जित आय के एक प्रतिशत अर्थात अनुमानित रूप से रू0 10.00 करोड़ (जो प्रत्येक वर्ष मण्डी परिषद के द्वारा | | कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार के शासनादेश संख्या–473/80–1–2020–19/2019. दिनांक 20.05.2020 के द्वारा मण्डी परिषद की गत वर्ष की आय का 03 प्रतिशत दो किश्तों में दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रथम किश्त गत वर्ष के उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर तथा दूसरी किश्त पहली किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः शासनादेश में निम्नानुसार संशोधन आवश्यक हो गया है :– "वर्ष की प्रथम छमाही में स्वीकृत आवेदनों पर अनुदान मण्डी परिषद से प्राप्त प्रथम किश्त की राशि/उपलब्ध राशि से प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर दिये जायेंगे तथा द्वितीय |

| | | | |
|---|---|---|---|
| शुल्क / सेस की धनराशि के आधार पर वर्षानुवर्ष अवधारित होगी) मण्डी परिषद द्वारा संगत व्यय हेतु गो सेवा आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रथमतः मण्डी परिषद से मिलने वाली उक्त धनराशि की स्थिति स्पष्ट कराकर उक्त धनराशि को राज्य सरकार द्वारा संगत व्यय हेतु बजट व्यवस्था कराते समय घटाकर ही बजट की व्यवस्था करायी जाय तथा उक्तवत दोनों श्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि को गोवंश के संरक्षण / भरण--पोषण मद में व्यय किया जायेगा। | | | छमाही में प्राप्त स्वीकृत आवेदनों पर अनुदान दूसरी किश्त / उपलब्ध धनराशि से प्रदान धनराशि से किये जायेगे।" |
| 7-- गोशालाओं के भरण--पोषण हेतु प्रदत्त अनुदान में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने के दृष्टिगत इन गोशालाओं के पंजीयन के समय प्रस्तुत पैन नम्बर, आधार नम्बर एवं बैंक खाता नम्बर का समग्र विवरण प्राप्त कर लिया जाय और इन आधारभूत अभिलेखों से मिलान के उपरान्ह ही इन्हें आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किया जाय। | | | (7) गोशालाओं के अनुदान दिये जाने से पूर्व मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों से सम्बन्धित गोशालाओं के बैंक खाता विवरण, आधार व पैन विवरण का सत्यापन करा लिया जाय। उक्त विवरण का निबन्धक गोशाला द्वारा निबन्धन के समय दर्ज अभिलेखों से मिलान कर लिया जाय और यदि अभिलेखों में कोई विसंगति पायी जाती है तो भुगतान रोका जा सकता है। किसी भी गोशाला के एक वित्तीय वर्ष हेतु एक ही बार अनुदान देय होगा, प्रस्ताव के साथ आयोग को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इस वित्तीय वर्ष हेतु पूर्व में कोई अनुदान नहीं दिया गया है। |
| 8-- गोशालाओं को भरण--पोषण हेतु प्रदान की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष आंकलित अवशेष देयता के भुगतान के औचित्य को अस्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि संगत भरण-पोषण अनुदान में अवशेष देयता के रूप में किसी प्रकार का भुगतान किये जाने का कोई औचित्य | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | नहीं है और उक्त निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु नवीन व्यवस्था प्रतिपादित की जायेगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के अवशेष माहों की अवधि हेतु पंजीकृत गोशालाओं के निरीक्षण दिवस को गोशाला में उपलब्ध कुल गोवंश (बड़े एवं छोटे) के सापेक्ष रू0 30/– प्रतिदिन/प्रति पशु के हिसाब से मण्डी परिषद द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि के सापेक्ष भरण–पोषण हेतु अनुदान देय होगा। | | | |
| | 9– मण्डी परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि एवं इस मद में उपलब्ध बजट प्राविधान यदि कम होगा तो आवेदन पत्रों के कुल पशुओं की संख्या के सापेक्ष धनराशि रू0 30/– से कम भी की जा सकती है। | | | |
| | 10– प्रदेश की पंजीकृत गोशालायेंए पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम के माध्यम से अपने आय–व्ययक का स्वयं सत्यापन कराकर सम्बन्धित अभिलेख प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में दिनांक 01 अप्रैल को गो सेवा आयोग को उपलब्ध करायेगी। गो सेवा आयोग द्वारा भी अपने नियंत्रणाधीन समस्त वित्तीय अन्तरण/भुगतान का आडिट स्वयं के द्वारा कराया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की दशा मे सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 गो सेवा आयोग का होगा। उक्त आडिट मात्र | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | वित्तीय सम्परीक्षा होगी तथा इन व्ययों का कोई कांकरेण्ट आडिट नहीं कराया जायेगा। | | | |
| | 11— आवेदन पत्र का प्रारूप गो सेवा आयोग से विचार विमर्श कर, निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा तैयार कराकर आदेश निर्गमन की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा। | | | |

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार संशोधित व्यवस्था के कम में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

Signed by मंजू लता
(मंजू लता) Date: 17-08-2021 14:34:03
विशेष सचिव Reason: Approved

संख्या--104गो0से0आ0(1)/सैंतीस–2–2021तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यपार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0। (द्वारा सचिव, गो0 सेवा आयोग)
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0। (द्वारा सचिव, गो0 सेवा आयोग)
4. वित्त नियंत्रक पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ (द्वारा सचिव, गो0 सेवा आयोग)
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उ0प्र0। (द्वारा सचिव, गो0 सेवा आयोग)
6. निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।